भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 945

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरे

945. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री जय प्रकाश:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेश वापस लाए गए मछुआरों की देश-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

ख) क्या बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने के मामलों की सूचना मिली है, यदि हांतो श्रीलंका, पाकिस्तान और अरब देशों सहित देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियमित राजनयिक वार्ताओं में हिरासत में लिए गए मछुआरों के मानवीय सरोकारों/चिंताओं का समाधान किया जाता है, यदि हां, तो इस संबंध में हाल ही में हुई चर्चाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय मछुआरों की शीघ्र पहचान और रिहाई के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं और द्विपक्षीय समझौते मौजूद हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं , साथ ही उक्त देशों में उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने और बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों को रोकने के लिए की गई/की जा रही अन्य राजनयिक पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मछुआरों की रिहाई और भारत वापसी के बाद उन्हें पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान की जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की संख्या की देश-वार सूची अनुबंध क पर और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेश वापस लाए गए भारतीय मछुआरों की संख्या की देश-वार सूची अनुबंध ख पर दी गई है। यद्यपि बिना विचारण के लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने का कोई भी मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार राजनयिक माध्यमों, विभिन्न आधिकारिक वार्ताओं और स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से संबंधित सरकारों के साथ भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई एवं स्वदेश वापसी सहित उनसे जुड़े सभी मुद्दों को लगातार उठाती रही है। सभी वार्ताओं में यह दोहराया गया है कि मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर पूरी तरह से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संबंधित देशों में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र, भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और कानूनी सहायता सहित आवश्यक मदद व सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। मिशन रिहा किए गए मछुआरों की भारत वापसी को सुकर बनाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ भी प्रदान करते हैं।

21 मई 2008 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित कोंसली सहायता संबंधी करार के प्रावधानों के तहत, भारत और पाकिस्तान प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का एक साथ आदान-प्रदान करते हैं। भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष लगातार उठाया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस विषय पर पूरी तरह से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाए।

श्रीलंका के संबंध में, मछुआरों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र, जैसे कि मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (भारत सरकार) का मत्स्य पालन विभाग मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम संचालित करता है। राज्य सरकारें भी हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राहत योजनाएं संचालित करती हैं।

अनुबंध-क

देश का नाम	वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की संख्या
कुवैत	04
पाकिस्तान	198
सऊदी अरब	12
श्रीलंका	24

अनुबंध -ख

स्वदेश वापस लाए गए भारतीय मछुआरों की वर्ष वार संख्या

देश का नाम	2023	2024	2025
बांग्लादेश	0	95	48
इंडोनेशिया	7	0	0
ईरान	21	0	2
केन्या	0	0	6
मालदीव	12	10	0
पाकिस्तान	478	0	22
कतर	31	29	2
श्रीलंका	243	477	390
